

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:- संस्था/चि0अ0/ए0टी/प02/14/SP -23-A

दिनांक:- 25/10/14

:- संशोधित आदेश :-

इस निदेशालय के समसंख्यक आदेश क्रमांक एसपी-17 दिनांक 16/10/14 के क्रम सं0 59 पर अंकित डा0 भंवर लाल नामा क0वि0 मेडिसिन का जिला चिकित्सालय टोंक से सीएचसी मालपुरा, टोंक किया गया स्थानांतरण एतद द्वारा तुरंत प्रभाव से निरस्त किया जाता है। फलस्वरूप डा0 नामा यथावत जिला चिकित्सालय टोंक में ही कार्यरत रहेंगे।

इस निदेशालय के समसंख्यक आदेश क्रमांक एसपी-08 दिनांक 07/10/14 के क्रम सं0 78 पर अंकित डा0 राजेश कुमार शर्मा चिकित्सा अधिकारी का पीएचसी चोंप, जयपुर से सीएचसी खोदरीबा, अलवर किया गया स्थानांतरण एतद द्वारा तुरंत प्रभाव से निरस्त किया जाता है। फलस्वरूप डा0 राजेश कुमार शर्मा यथावत पीएचसी चोंप, जयपुर में ही कार्यरत रहेंगे।

इस निदेशालय के समसंख्यक आदेश क्रमांक एसपी-08 दिनांक 07/10/14 के क्रम सं0 75 पर अंकित डा0 चेताराम मीणा चिकित्सा अधिकारी दन्त का जिला चिकित्सालय सवाईमाधोपुर से सीएचसी बोंली, सवाईमाधोपुर किया गया स्थानांतरण एतद द्वारा तुरंत प्रभाव से निरस्त किया जाता है। फलस्वरूप डा0 चेताराम मीणा यथावत जिला चिकित्सालय सवाईमाधोपुर में ही कार्यरत रहेंगे।

निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान जयपुर

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय, राज0, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग (ग्रुप-2), राजस्थान, जयपुर।
4. प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक अधिकारी/अधीक्षक, मेडिकल कालेज संबंधित।
5. निजी सहायक, निदेशक (जन स्वास्थ्य), निदेशालय, जयपुर।
6. संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन संबंधित।
7. प्रमुख चिकित्सा अधिकारी/मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी संबंधित।
8. संबंधित चिकित्सक अपनी उपस्थिति संबंधित प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक अधिकारी/निदेशक/प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, /मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/नियंत्रण अधिकारी को देवे तथा सभी संबंधित को निर्देशानुसार लेख है कि पद रिक्त नहीं होने की स्थिति में भी चिकित्सक को कार्यग्रहण करावे तत्पश्चात अधोहस्ताक्षरकर्ता से मार्गदर्शन मांगे।
9. प्रभावी केन्द्रीय सर्वर रूप, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को आज ही विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करावे।
10. संबंधित चिकित्सक
11. आदेश /निजी पत्रावली।

निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान जयपुर

